मजाक हो चुका है श्रीर गुस्सा या जिस तरह से यहां पर हो रहा है मुझे डर है कि कहीं हमारे देश की जनता हमारे चाल चलन श्रीर हमारे... (व्यव-धान) अपना विश्वास न खो दे। विरोध पक्ष पागल हो चुका है। उन्होंने सारी पालियामेंटरी मान्यताएं श्रीर परम्पराएं तोड़ कर रख दी हैं। उसलिए मैं श्रापसे अनुरोध करूंगा कि श्राप किसी को श्रांख विखाने से या किसी के हुक्म पर नहीं लेकिन कृपया पालियामेंटरी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए अपनी इ्यूटी का निर्याह करें। (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश): ग्राप कृपया समय बढ़ा दोजिए। यह श्रन्याय पैर सरकारी प्रस्ताव के साथ नहीं होना चाहिए। 10 बजे तक बैठते हैं तो सबेरे चार बजे तक बैठेंगे ... (व्यवधान) श्रगर श्राधा घटा व्यवस्था में लग गया तो तीन से जो ढाई घंटे का समय है वह चलाइये ... (व्यवधान) अन्याय नहीं होना चाहिए (व्यवधान) जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल हैं उसको पूरा समय दीजिए।

RESOLUTION RE. LEGISLATION TO MAKE LEGAL AID ORGANISA TIONS FOR THE NEEDY AND POOR STATUTORY—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We take up the Resolution. It will continue for twe and a half hours.

SHRIMATI RODA MISTRY (Andhn Pradesh): Before going on to the content! of the Resolution it is thought necessarj that the functions of the Legal Aid ane Advice Boards be highlighted, which I have already done, so that the Members woule understand the reason behind bringing forward this Resolution, seeking autonomy foi Aid and Advice Boards. The Board; function on government money and i' is highly essential that the working of these Boards be above any sucl remarks that may take shape and com<up>up in the future.

Sir, a regrettable fact noted is that in our long established democracy for the often and loudly proclaimed governmental ideals for the protection of the rights of the poor and the needy, the deprived and the non-literate sectors of our society, it is the. State and the Central Governments themselves, most of the time, who seem to present unnecessary stumbling block, con-straitus, handicaps and the like, thus sacrificing progress for the ritual of rules. We fully realise that such constraint placed on their working, has also to do with unawareness on the part of officialdom of the practical day-today difficulties faced by Legal Aid Boards in the fields of their work. Thus it has been thought necessary io present in proper detail, aigu-ments to this effect, for the attention of the House today. The main Central Committee itself, aside from its State branches, has been functioning as a limb of the Central Government under the Department of Legal Affairs. It has no financial and administrative autonomy and a meagre staff, whose dedication is the only reason for achievements

The decisions taken by the Committee are subject to further scrutiny by both the Finance and the Law Ministry. The delay and r?d tspism involved in the completion of formalities, urgent or otherwise, retards proper and effective pace of legal aid programmes.

Sir some details of the Central and State जनाव, इस हाउस म बाल रही है जरा आप सब करें, तो अच्छा होगा।

details of the Central and State... (Interruptions)

अब तो सुनिये रामेण्वर सिंह जी, कभी हमारो भो बात सुनिये।

Some details of the Central and State financial assistance are placed before the House. The grants, on both Central and

...~ .w.~.,, OTC m.iivi iauuw4iiuiC anu 11-regular. Oh the 21st of March, 1983, answer to Starred Question No. 307 in the Rajya Sabha disclosed that the quantum of grants given to the various States for lega! aid schemes during 1981-82 and 1982-83 (upto December 31, 1982) were Rs. 2*M* lakhs and Rs. 70,000 respectively, broken

[Shrimati Rode Mistry] down between a few States, such as An dhra Pradesh, Gujarat, Orissa and U.P. If the statistics given there are to be taken as correct, then the questions asked here are-why only these four States re ceived help? Did other States seek aid and did not receive the same due to the same red-tapism and bogging down of Governmern ry? Have all the grants given been utilised by the State Governments concerned? Sir, we are told that upto the date of the answer given in Rajya Sabha, no audited accounts had been received even for 1981-82. Would not the picture have been different if the Committee had the sought-after autonomous powers, wherein adequate staff could have bandied the situation by going round the States and checking up the happenings in the different Boards all over the country.

The Delhi Legal Aid Cell, as just one example, has shown that for the year 1983, they did not receive their scheduled grant till July of the same year. Even then only an ad hoc amount of one lakh of rupees has been released, thus it was barely limping along from April to June on a meagre residual leftover from' the previous finan-ci.il year. Would not the concerned Board have closed down due to lack of finance if the residual amount had not been left over? The Committee, if possessing autonomy, would have never allowed such a situation to prevail.

Sir, the quantum of aid to States and voluntary organisations gives a clear picture of the situation. That the Committee has been hampered by following the ponderously slow Government system is clearly shown by the grants-in-aid it has been able to sanction to various ancillary bodies at State and other levefs for the year 1982-83. The total sum spent is a mere Rs. 12,43.149 and that too on an all-India basis. Is this our budget for legal aid schemes to reach the poor and the needy of this vast nation in all the corners of the country? Would an independent andr fully autonomous committee not have functioned faster and more realistically? The main Committee itself, at the Central level, functions on a marginal staff of 3 officers, 5 staff members and two peons. Staffing recommendations by both the Committees and its State Units are ignored

totally bf the authorities concerned. In August 1982, the Committee commissioned and received a detailed report by Dr. Ra-jeev Dhawan on a proposal for proper structuring and staffing. We quote certain extracts from Dr. Dhawan's reports:

- -"One of the principal difficulties faced by the Committee is that it is vrey short staffed."
- —"this staff is helplessly inadequate for both implementing what the Committee is doing now, and developing any systematic strategy.'

Despite Dr. Dhawan's recommendations, I y Government the repoit has and the pattern of short-staffing remains the same.

Again. Sir, in a Legal Aid Scheme of any distinction, the proper use and ready availability of legal practioners, lawyers is of utmost importance. At the moment, the same is handled whimsically on Government schedues, with laid down and fixed inadequate compensation not at all welcomed by the legal profession. If a completely autonomous Committee were to handle this situation, it would be more fesible to handle free and legal compensation on a case-to-case basis, thus encouraging the best of the legal profession to accept cases for Legal Aid and Advice Schemes.

Sir, coming to investigation, qualified social workers can deliver the correctness of the case to the Board. Sir, We all understand that the Legal Aid Boards function on Government money which is people's money in trust with the Government. If a single case taken up to give free legal aid turns out to be wrong one, it would amount to using Government finances to encourage litigation, and not to help the poor. So when a case comes to the Board, it is highly essential that the Board investigates the genuineness of the case. Tt is not to be like an office where anybody caa file an application and receive legal aid automatically. Case work is highly essential, even if it is done on restricted basis. Then people would realize that they should not place wrong facts before

tbe Board. A completely autonomous Committee has recognised the need of qualified social workers a_s caseworkers within each Legal Aid Cell, to attend to the proper investigation of cases rather than depend totally on complainants. But the Government is stiil thinking OK this issue. Dr. Dhawan's proposal of August 1982, Sir, is still unimplemented along with other proposals that have been totally ignored.

Sir, that need for publicity programme is not thought necessary, is evident. Effective publicity programme through mass media (Radio and TV), printed media (journals and newspapers) in several regional languages, if possible, form part and parcel of the Committee and it functions to implement a thorough penetration to all corners of oucountry. Such publicity programmes must be properly formulated, posted and implemented, without delay; in nrder to perform at maximum efficiency. The Committee and its ancillaries suffer from delay on the part of Government circles to approve such programmes. Again, the latter are subjected to unnecessary scrutiny, reduction, cancellations, questioning by and from Government circles, hardly recognizing the needs of the Committee and such programmes. Complete autonomy and statutory status here would produce results beneficial to aU concerned, most certainly the poor and needy and ignorant, who are totally unaware of their basic rights and the existence of Legal Aid Cells and Schemes.

Sir, in this vast country it needs intensive campaign to tell the people that there is legal aid available for them, and that they should take advantage of this fact. At present, the checks and counter-checks are not able to reach the message of free legal aid to our vast masses.

Sir, finally, let me mention one thing. It can clearly be seen by Members of the House that our most pressing problem, that of the alleviation of the poor and needy, destitute

and non-literate sectors of our society, cannot be just theorized on paper, without the justification of proper implementation and practice. Yes, we do have a pressing problem, and organisations such as the Committees, even though Government instituted and prompted, must be freed from any Government restraint that hampers their efficient and appropriate functioning. As time limits us, we are not able to produce fully our justifications, but can only sum up by quoting the words of Lyman Abbot:

"If ever a time shall come, when in this city only the rich man enjoy law a_s a doubtful luxury, when the poof who need it mosi cannot have it, when only a golder key will unlock the door to the courtroom, the seeds of revolution will be lighted and put into the hands of men and they will almos be justified in the revolution which will follow."

We propose then through this Houst the following recommendation, Sir:

"That the Government bring forward suitable legislation to makt legal aid organisations at the Cen-•tre and the States, statutory ane fully autonomous with adequate powers and full authority to per form their tasks successfully fo: the needy and the poor of thi nation;

"That the Government bring for ward suitable legislation to suffi ciently increase grant-in-aid, staf ing and generally progagate the effort of Legal-Aid Cells and the like in the alleviation of the poo and the needy in the country."

Thank you, Sir.

The question uros proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B R. MORARKA): The Resolution now open for discussion. Shri Hukre deo Narayan Yaday.

श्री हक्सदेव नारायण यावव (विहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दोचार मिनट में ग्रपनी बात खत्म कर दंगा क्योंकि ग्रसल में तो हमारे शिव चन्द्र झाजो इस पर बोलने वाले थे और मैंने भी भपना नाम दे दिया था, लेकिन, चुंकि मुझे बुलावा थ्रा गया है इसलिए में यहां एक ही प्रश्न उठाना चाहंगा और यह कि जो गरीब लोग हैं गांवी में झोंपड़ी में रहते हैं बड़े लोगों के जरिये तंग ग्रोर तबाह किये जाते हैं ग्रीर वह इतना तंग और तवाह किये जाते हैं कि उन को कोई न्याय मिल सके, उन इंसाफ मिल सके उसके लिये कहीं पकार कर सकें इतनी ताकत भी उनके पास नहीं रह पाती है। आज की जो पुंजीवादी व्यवस्था है उसका एक भ्रंग न्यायपालिका भी है और उसमें न्याय के लिए इतनी लम्बी लढ़ाई चलती है कि वकालत नामे पर दस्तखत करते-करते वह वेचारा परेशान हो जाता है।

हमारे गांव में एक कहावत है कि एक पैसे का मुगी और 9 पैसे का मसाला । जितना ग्रदालत में खर्च नहीं होता है उससे कहीं अधिक पंसा उस गरीब का श्रदालत जाने श्राने में, दौड़ने में ग्रीर वहां जाकर रहने में मौर वकील साहब को फीस देने में श्रीर वहां के कागज पत्नों में खर्च हो जाता है भौर उसका इतनी ताकत नहीं रहती कि वह अदालत से इंसाफ सके । ब्राखिर में उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो अगर गरीबों को इंसाफ देना ही है तो सरकार को चाहिए कि कोई न कोई कोई ऐसी व्यवस्था करे और वह व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उन गरीबों का उस से सही और समय पर न्याय मिल सके ग्रीर इसके लिए सरकार से जो भी सहायता बिलनी चाहिये वह सरकार

ज्यादा से ज्यादा उन को दे । इस प्रकार की कानुनी सहायता देने वानों की बमी नहीं है , अच्छा कानून जानने वालों की कमी नहीं है ,ऐसे लोगों को सरकार इस काम में लगाये भीर जो प्रगतिशील विचारवारा के लोग है, जो कोर्ट में काम करने वाले हैं, ऐसे तत्वों की जमात बना कर उनके जिस्मे यह काम दे श्रीर उसका सहयोग दे ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। मैं चाहता हुं। हमारे विधि जो यहा बैठे हैं, वह इस के बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही ताकि करोडों लोगों को इंसाफ मिल सके। जो हरिजन हैं ग्रादिवासी हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित, शोबित हैं जिन पर प्रतिदिन ग्रत्याचार होता है उस प्रत्याचार को रोकने के लिये ग्रदालतें तो कारगार तभी हो सकती हैं कि जब न्याय पाने के लिये उनके पास पैसे हों। पैसा उन के पास नहीं होगा तो उन को इंसाफ नहीं मिल पायेगा । तो काई न कोई व्यवस्था करके ग्राप उन को जल्दी और सही न्याय दिलान को व्यवस्था करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसमाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय काननी सहायता समिति या परिषद् के माध्यम से गरीब लोगों को सहायता प्रदान की जाय इस तरह का प्रस्ताव हमारी रोडा जी ने सारे देश का ध्यान इस द्योर ग्राकवित करने की कोशिश की है। मैं ऐसा अनभव करता हं कि समय-समय पर अपने देश के बड़े नेताओं द्वारा, मालयों के द्वारा भी यह घोषणा की जाती रही है देश के अंदर जो गरीब या दलित या इस प्रकार के लोग हैं जिनको जीवन की प्राथमिक जरूरत को पुरा करने के लिए भी पैसा नहीं है,

Tj>i>al and Organisations

सब लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस के लिये मुफ्त व्यवस्था की जायेगी। यह घोषणायें बराबर होती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि घोष-णाम्रों के बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये थी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी ग्रौर मैं इस संदर्भ में भृतपूर्व विधि मंत्री थे। गोविन्द मेनन का यह वावय उद्धत करना चाहंगा उन्होंने कहा था कि किसी भी न्दादप्रिय सरकार का यह दायित्व विः देश के जितने भी गरीब ग्रीर दलित लोग हैं उनको न्याय अत्याधिक तीव्रता से सुलम हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । यह सरकार का कर्तव्य है। लेकिन ग्राज न्याय का दरवाजा उसी तरह से सभी नागरिकों के लिये बला है जिस तरीके से अशोक होटल का दरवाजा खुला है। यह उनका वाक्य है। श्रशोक होटल में वही जा सकता है जिसके पास पैसा होगा । लोग उसका उपभोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जिसके पास पैसा है वह न्याय को खरोद सकता है। गरीब को घसीटकर भोषण का शिकार बनाता है। ऐसी स्थिति का विधि मंत्री ने भी **उल्लेख** किया है । स्वयं हमारे वर्तमान विधि मंत्री जा ने देश के नागरिकों को ग्राश्वस्त किया । पिछले शिलांग में उनका भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने देश की जनता को श्राश्वस्त विया था कि गरीव को हम मुफ्त न्याय

दिलायम् आर अदावता कारु पाण पर के लिए पूरे राज्यों को निर्देश करेंगे । ग्रदालत की फीस बहुत अधिक है जिसे गरीव बर्दाण्त नहीं कर सहता है। लेकिन में कहना चाहता हूं कि ग्रदालती फीस माफ करने का सवाल ही नहीं है, उसके धन्दर स्वयं भी इतना भ्रष्टाचार है कि गरीब ब्रादमी जब जाता है तो उसका गोषण होता है, उसकी चूमा जाता है। विधि मंत्री जी ने घोषणा की विः लेकिन उसका कितना पालन होता है ? किसी भी प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय कानूनी सहा-यता परिषद की जो कानूनी सहायता समितियां बनी हैं उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और उसके प्रविल भारतीय कानूनी सहायता समिति के जो सचिव 1981 में श्रीमान श्रावाहन थे, उन्होंने कहा था कि किसी वकील के काम करने की यह फीस सब न्यायालय में 16 रुपये भ्रीर उच्च न्यायालय में सी रहये दी जाती है जब कि उनको सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय के ग्रन्दर मध्यम वर्ग के वकील को भी 1 हजार रुपये से लेकर 10 हजार किपये तक की फीस मिल जाती है, साँ रुपये से उनका वया होने वाला है। उनका बजट भी निर्धारित किया गया है। ग्रभी श्रीमती रोड़ा मिस्त्रि जी ने भी उसका उल्लेख किया है। स्वयं विधि मंत्री जी ने यहा था रि: 1980-, 81 में 25 लाख कपये इसके लिए ग्रावं-टित किए गए हैं। 1982-83 के लिए 54 लाख 20 हजार रुपये का व्यवस्था की गई है। आपने यह भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायात्रय कान्नो सहायता समिति के परामर्श के ब्राधार पर उनकी रिक-मंडेशंस के आधार पर हम एक माडल योजना तैयार कर रहे हैं । उसके अन्दर पूरे देश के प्रदेशों को हम ला'रहे हैं जिनके माध्यम से गरीव लोगों को न्याय सुलभ हो सकेगा । लेकिन वह माडल योजना क्या है, कितने प्रदेशों में लाग हुई है, अभी उसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। इसलिए मैं चाहंगा कि भले ही यह गैर सरकारी प्रस्ताव है, तो भी प्रादेशिक सरकारों के माध्यम से गरीब जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से जो घोषणायें की गई हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार को तरफ से ग्रावश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

श्रीमन, में एक बात कह कर अपनी वात समाप्त करना चाहंगा । पहले ग्रपने यहां यह व्यवस्था थी कि जल्दी न्याय दिलाने के लिये प्रशासन की तरफ से विकेन्द्रित व्यवस्था न्याय ग्रौर ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाता था और 99 प्रतिशत झगडों का समाधान वहीं पर हो जाता था। थोडे बहुत केसेज बाहर जाते थे । मैं समझता हं कि उसी प्रकार की व्यवस्था को तरफ फिर से लोगों को ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए, उस दिशा में भी विधि मंत्रालय की तरफ से सरकार को प्रयास करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, जितना

ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके उतना ही ग्रन्याय होने की गुंजाइश कम रहेगी। मैं इतनी बात कह फिर से विधि मंत्री जी निवेदन देता हं ग्रीर यह हं कि इस दिशा में वह सोचें ग्रौर के लिये गरीब लोगों जितनी योजनाएं प्रस्तत की गई हैं उनको क्रियान्वित करने की इसमें सिकिय हों, इतनी बात कर मैं भ्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती मंमुना सुल्तान (मध्य प्रदेश): मैं वाइस चेयरमैन साहब, मैं श्रापकी मशकूर कि मझे बहत जरूरी मिस्त्रि रेजोल्शन पर जो लाई हैं, अस पर बोलने मौका दिया। जहां तक इस रेजोल्शन देखने का मौका मुझे मिला है जब बहस हुई थी तो मैं उस वक्त नहीं थी, लेकिन इस रेजोल्शन हर एक पैराग्राफ जो है वह इस का मसतहक है कि सरकार उस पूरी तरह से तवज्जो करे।

मिस्टर वाइस चेयरमैन, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टेट है वह एक वेलफेयर स्टेट है और इस तरह से कानूनी दृष्टि से ग्राइनी रू से सोशली जो उसूल हैं, जो प्रिसियल्स हैं उनको पाबन्द करने के लिये है। इसकी ग्रन्दरूनी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसमें अमीरी और गरीबी का सवाल आता है या नहीं ? उसमें

श्रमीरी श्रौर गरीबी का सवाल उतना नहीं है । हमारा पूरा सोशल स्ट्क्चर ऐसा है कि जो हमारी प्रोयोरिटी हैं उसमें कहीं जगह ऊंच-नीच है ग्रीर उस प्रोयोरिटी की ऊंच-नीच की वजह से जिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता । मिसाल के तौर पर यह सवाल ग्राता है, ग्रखबारों में भी देखते रहते हैं कि छोटी-छोटी लडकियां, माइनर गर्ल्स के रेप के आफेंस ऐसे जराइम हैं जो हमारे मुल्क ही में नहीं होते दूसरे मल्कों में भी होते हैं। यह बड़े अफसोस की बात हैं । लेकिन यह हिन्दस्तान है । हमारे यहां ऐसे जराइम होना बड़े फसोस की बात है लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ कैसे मिले। इस जर्म के बाद रेप के बाद या दूसरे आफोन्स के बाद जिसके खानदान पर, जिसकी लडकी पर यह हालत गुजर रही हैं, यह समझिये की वह ऋाइम से कम नहीं है। उसके लिये यह बडी मश्किल की बात है कि वह अदालत में जाकर या पुलिस ग्राफ्सरों के पास जाकर यह बयान दे कि यह वारदात हमारे साथ गुजरी है। इसको वह बरदाश्त कर ले यह बहुत बड़ी बात है। आपका को ला आफ ऐविडेन्स है वह इतना नाफिज है, इतना कमजोर है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता। ला मिनिस्टर साहब यहां बैठे हए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वह इसको देखें क्योंकि एक हिन्दस्तानी ज्वान में लोगों के सामने इस बात को कान्फेस नहीं कर सकती । हिन्द्स्तान हिन्द्स्तान है इस पर उसके ऊपर जब यह वारदात गुजरेगी तो ग्रीर उसको सबत लाने के लिये कहा जायेगा तो वह सब्त कहां से लायेगी। हमारे रस्मो-रिवाज ऐसे हैं कि बात फैलती चली जाती है। ऐसी हालत

में लड़की महरूम रहती है। वह न इधर की रहतो है और न उधर को रहतो है। इसमें रुपयों का सवाल नहीं स्राता लेकिन लीगल ऐंड का सवाल जरूर झाता है। पांब्लक कान्सेन्सस उठाने का सवाल भी जरुर ग्राता है । पब्लिक कान्सेन्शस उठाने के लिये हम लोग यहां हैं, मिनिस्टर साहब यहां हैं। इससे बढ़ कर ग्रीर कौन हो सकता है। मैं यह गुज।रिश करूंगी कि ग्राप इस पर गौर करें।

दूसरी चीज इसमें यह है कि दहेज के कारण रात-दिन पेट्रोल डाल कर लडकियों को जला दिया जाता है। लड़िकयां दहेज के कारण खत्म हो जाती हैं। रोज रात-दिन ग्रखवारों में ग्राता रहता है। मेरे ख्याल से इसमें ला प्राफ एविडेंस की जरूरत नहीं है । मेरी ग्रापसे गजारिश है कि ग्रापकी सरकार में, ग्रापके पुलिस डिपार्ट-मेंट में, ग्रपकी होम मिनिस्टरी में ऐसा सैल होना चाहिये कि जब कोई लडकी किसी मुसीवत में हो तो वकायदा उसका वास्ता उस डिपार्टमेंट से हो और उसकी इत्तला सीधी उस डिपार्टमेंट से पुलिस तक पहुंच जाए, और पुलिस इस पर त्रन्त कार्यवाही कर सके । इसका तीसरा हिस्सा ग्रीर है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो सोशल वैलफेयर बोर्ड है और इसरी वालेंटरी ग्रागेंनाइजेशनस हैं, वे इस बारे में बहुत बच्छा काम कर रही हैं। इस बारे में रात दिन ग्रौरतें उनके साथ काम करती हैं, मेहनत करती हैं। हमारी रोड़ा मिस्त्रि जी भी इसमें रात-दिन लगी रहती हैं। श्रीरतें उनके पास बाती हैं। लेकिन जितनी वालेंटरी ग्रागेनाइजेशनस है उनके लिये भी । Where is the legal authority to implement it ?

इन बोईस को ग्रगर ग्राप इम्प्लीमेंटेशन की अयारिटी दें तो ये काफी इफेक्टिव हो सकती हैं। श्रीरतों के साथ जो अन्याय होता है, जो सोशियल इनजस्टिस होता है उन सबको रोकने की जरूरत है। उनके लिये इंसाफ के दरवाजे खोलने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि कानून में थोडी नहीं बल्कि काफी तरमीमें करने की जरूरत है। इतना कहकर में आप का शक्तिया ग्रदा करती हूं कि ग्रापने मुंझे बोलने का मौका दिया ।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसमाध्यक्ष महोदय, श्रीमती रोडा मिस्त्रि जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हं इनका प्रस्ताव अत्यन्त ही सराहनीय है जिन बातों की तरफ इन्होंने इशारा किया है, चाहे वह काननी संगठन हो या काननी सलाह-मणविरा देने वाला कोई व्यक्ति हो, वह गरीबों को जो काननी मदद दी जानी चाहिए वह नहीं के बराबर देता है। मझे जो जानकारी है, कानुनी सहायता देने के लिये जो बोर्ड बने हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे गरीबों को कानूनी राय देते हैं, वे वास्तव में गरीवों को कोई मदद नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। गरीब बेचारा इधर-उधर टक्कर मारता रहता है। जो वकील 15 रु०, 16, रु० लेता है उसको कचहरी में सौ कपये मिलते हैं। वह 15-20 रु० में काम नहीं करता है। वेचारे गांव वाले गरीव लोग बिना किसी मदद के रह जाते हैं। आपने इसमें कास्ट की कोई बात नहीं कही है, यह बहत अच्छी बात है। चाहे कोई हरिजन हो या शैड्यल्ड वास्ट का धादमी हो, सबको एक समान माना गदा है। इस्तिये मैं विधि मंत्री जी से यह बहुना चाहुंगा कि वे इस प्रकार की कोई व्य-वस्था वरें कि ग्रगर कोई वकील किसी।

ब्यक्ति के मुक्दमें को ठीक प्रकार[ा] से नहीं करता है और एक गरीब आदमी का मकदमा ठीक प्रकार से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये श्रीर उसको उसके पद सेहटा देना चाहिए। मंत्री जी यह जानते हैं कि वर्ड वकील इस प्रकार के होते हैं जो उन लोगों के केसों को ठीक प्रकार ते करते हैं जिनसे रूपया मिलता है। गरीबों के मामलों में रुचि नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री जी इस बात का निर्देश जारी करें कि जो कोई भी वकील गरीब लोगों के मुकदमों को ठीक प्रकार से नहीं करेगा उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा ग्रीर उसके स्थान पर किसी दूसरे वकील की नियक्ति का बाएगी ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

इसके ग्रलावा मैं एक बात ग्रीर कहना चाहता हं। हमारे स्कूल कालेजों में ग्रापने गरीब लोगों के बच्चों की हालत को देखा होगा । मैं इस निश्चित राय का हं कि जब कभी हमारी सरकार बनेगी ग्रौर मुझे उम्मीद है कि हमें सरकार में द्याने का मौका मिलेगा तो हम जरूर इस दिशा में काम करेंगे। तन 1977 में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन वह अपनी नालायकी की वजह से पद पर नहीं रह सकी। हमें उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं समज्ञता हं कि ग्रगर हमें प्रशासन में जाने का मौका मिला और वह जरूर - मिलेगा, तो हम एक कूगल प्रशासक के रूप में उभरकर सामने आवेंगे और आपको ग्रन्छे काम करके दिखाएंगे । यह मझे विश्वाश है। अगर हमारे हाथ में इक्सत द्धा गई तो निश्चित रूप में विश्वास दिलाना चाहता हं कि मैं कम से कम दसवीं जमात तक, जो गांव में हमारी लडकियां, बहनें पढती हैं, जो बचने पढते हैं, उनकी हम पढ़ाई की व्यवस्था मफ्त करेंगे और उनके भोजन की भी ब्यवस्था

दोनहर में मुपत करेंगे। क्योंकि इस देश में उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्राप ग्राश्चर्य करेंगे, ग्रापको ग्राण्चर्य होगा ही नहीं शायद क्योंकि आप जानते हैं...(व्यव घान) . . .

(क्षो ग्रार० ग्रार० उपसंभाष्यक मोरारका): ग्रार्डर प्लीज ।

श्री रामेश्वर सिंह: ... कि करीब 40 प्रतिशत लोग इस देश में ऐसे हैं जो तीन ग्राने पर ग्रपना गुजर-बसर करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रगर उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था मुक्त हो तो उनके स्कूल में भोजन की व्यवस्था भी की जाय ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रव मैं दूसरी बात कहना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो मोजन दिया जाय वह अच्छा दिया जाय। ग्राज ग्राप क्या भोजन दे रहे हैं, भोजन में दर्बी मिलाकर दे रहे हैं, सुग्रर की चर्ची मिलाकर दे रहे हैं, कुत्ते की चर्वी मिलागर दे रहे हैं, गाय की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, बिल्ली की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं... (व्यवधान)... ग्राप बैठिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें यही नहीं, यह जो आप खिलाते हैं उसके कारण आज देश में इतनी वीमारियां हो रही हैं ग्रीर यह हमारी सेहत को खत्म करने का एक कारण हैं। इससे सेहत खराब होती है और इससे करोड़ों करोड़ जोगों की भावना को ठेड पहुंचती है। इसलिये जो ग्रापने एच० टी० सीं० बनावा है, जो परवेजिंग के लिये विभाग द्वापने बनाया है जो कि माल परचेज करता है, विदेशों से उस कमेटी में जो भ्रष्टाचार है

जिससे ये सारी गड़बड़ियां होती हैं उन पर भी ग्रापको ग्रंकुश लगाना चाहिए मैं पृष्ठना चाहता हं कि क्या करकार उन दोषी लोगों को पकड़ने जा रही है, जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको पकड़ने क्या सरकार जा रही है ? मेरा कहना है कि उस आफिसर को भी पकड़ा जाये जिसने एक लाख टन इस तरह से चर्वी मंगाकर लोगों के साथ विश्वासवात किया है और लोगों को बताया नहीं है। जो भी मंत्री इसमें शामिल हैं, उस मंत्री से तरन्त इस्तीफे की मांग हम करते हैं। उपसमाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बार-बार कह रहा हं कि ऐसे लोगों को बचाने का क्यों प्रयत्न करते हैं यह मेरी समझ में नहीं भाता। ... (व्यवधान)...

उदसमाध्यक (ओ आर० ग्रार० मोरारका) : ग्रार्डर प्लीज।

श्री रामेश्वर सिंह में आपकी सहत के बारे में कह रहा हं। ग्राप ग्रपनी सेहत देखिए, कैसी सेहत हो गयी है। यहां अच्छी सेहत कैसे होगी ? आज लोग क्या खा रहे हैं ? मैं श्रोमती रोडा मिस्त्रि का बहुत आभार प्रकट करता हुं जो आपने इस संकल्प को लाकर, डिस्कशन को लाकर कम से कम इस सरकार को, बहरी सरकार को, गंगी सरकार को, बेजबान सरकार को, इस सरकार के पास जुबान नहीं है, को सोचने के लिये मौका दिया है ताकि वह गरीबों के लिये कुछ कर सके। ग्राज मंडल कमीभन पर वहस होने वाली है। मंडल आयोग पर बहस हो या न हो लेकिन मंडल आयोग क्या कहता है ? गरीबों को न्याय दिलाने की बाह कहता है, गरीबों को राहत दिलाने की बात कहता है । लेकिन इसकी बात आप करना नहीं चाहते । तो उपसमाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दो-एक जो जरूरो बातें हैं, जो मैं ने कही हैं ग्रगर मंत्रों जो

इस काम को कर सकें तो वे इतिहास में ग्रमर हो जायेंगे। ग्रापके प्रति मेरी यदभावना रहती है। ग्रापने खद देखा होगा कि इस सदन में ग्रापकी बहुत इज्जत करता हूं। कुछ मंत्री ऐसे हैं, जब मैं खड़ा होता हूं तो वे कापने लगते हैं ग्रौर उन्हें लगता है कि पता नहीं रामेश्वर सिंह हमारे ऊपर क्या हथियार फेंक दे। मैं ने यह हथियार कभी ग्रापके ऊपर नहीं फेंका है। ग्राप सज्जन पुरुष हैं। इसलिये आप एक बात जरूर करें ग्रीर वह यह कि इस काम को ग्राप कानुन के द्वारा कर दें। इसके लिये आरप एक अच्छा कानुन बनाइये। मिलावट के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बरा ग्रसर पड़ता है और उनको बहुत तकलोफ होती है। कान्न बनाकर और एज्केशन द्वारा इस चीज पर नियन्त्रण किया जा सकता है ठीक किया जासकता है। आज ग्राप देखते हैं कि बहुत सी हमारी बहुनें बसों और ट्रेनों में चलती हैं, उनके साथ कितनी छेडखानी होती है, बच्चों का स्कल है तो वहां टाट नहीं है, टाट है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो झोंपड़ी नहीं है, द्वोंपड़ी है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो किताब नहीं है, किताब है तो विद्यार्थी नहीं हैं, विद्यार्थी हैं तो उनके पास खाने के लिये ग्रम नहीं है। ग्राप कम से कम उनको इससे तो राहत दिलवाइये। मंत्री जी ग्राप इतने कुशल व्यक्ति हो, ग्राप इस काम को आशानी से कर सकते हैं।

Legal aid Organisations

उपसभाष्यक्ष महोदय, अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हं। यह काम अगर आप कर दें तो बहुत वड़ा न्याय . मिलेगा । आखिरी बात यह कहना चाहता हं, गरीबों की जबान खोलने की बात है। हम लोग शहरों में रहते हैं। हमारी बहनों के लिये तो भौचालय ग्रादि की व्यवस्या है मगर इस देश में 70-80 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं आप गांवों में जाकर के हमारो बहनों की हालत तो देखिए। सौभाग्य से इस देश की प्रधान मंत्री एक महिला हैं । मैं इंदिरा जी की इज्जत करता हं। इंदिरा जी के प्रति मेरी श्रद्धा की भावना है मगर यह श्रद्धा की भावना तब ग्रीर बढ जायेगी जब कम से कम हमारी बहनों के लिये शीचालय की व्यवस्था प्रधान मंत्री कर दें । इसलिये ग्राप यह इसमें जोड़ दीजिए कि इस देश में कोई भी हमारो वहन ऐसी जगह पर नहीं बैठेगी जहां कि उसके तन को लोग देख सकें। कम से कम हमारी बहनों के लिये, हमारी माताओं के लिये हिफाजत के लिये .यह व्यवस्था हो जाये । इतनी व्यवस्था छाप कर दीजिये । (ब्यवधान) पता नहीं क्यों इनको इंदिरा जी ने यहां ला दिया है। यह चुग रह ही नहीं तकते। मैं अच्छी बात कहंगा, मैं आप के लिये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी बहनों के लिये कम से कम भारत सरकार यह काम तो कर दे कम से कम तीन काम छाप कर दो इस देश में गरोबों के लिये शिक्षा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था छोर भोजन की व्यवस्था ग्रीर इज्जत के साथ श्रौर स्वाभिमान के साथ रहने की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। मझे कोई बीज नहीं चाहिए। मझे रहने के लिये सकान चाहिए, इज्जत के साथ रहने के लिये चाहिए, मेरे पेट में भोजन की व्यवस्था चाहिए और हमारी बहनों को तन उकने के लिये ध्यवस्था हो जाये तो हम समझते हैं कि देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा । (व्यवधान) पानी तो छोडिए पानी तो है पानी में तो जहर मिला है वह छोड़ दीजिये, मैं उस में नहीं जाना चाहता मगर उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से जो निवेदन कर रहा था उसमें मुझे इतना ही कहना है कि गरीबों के लिये, हमारी बहनों के लिये तन

statutory

ढकने के लिये ग्रौर उन को रास्ते पर न बैठना पड़े, जहां हमारी बहनें तन खोलकर बैठती हैं उनको न बैठना पड़े ऐसी व्य-वस्था कर दीजिए। दुनिया के इतिहास में जो भी ग्राज ग्राधनिक यग में बोसवीं मताब्दी में ग्राप रहते हैं, ग्राप जापान में चले जाइये, आप अमरीका में चले जाइये, ग्राप ब्रिटेन में चले जाइये. जर्मनी में चले जाइये, रूस में चले जाइये जो भी विक-सित देश हैं उन देशों में क्या हालत है, वहां किस तरीके से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहां हमारी बहनों के लिये तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है। घटने से ऊपर उनके पास कपड़ा है सौर कभी-कभी बहनों के लिये तो शरीर के ऊपर के भाग के लिये भी कपड़ा नहीं होता। ग्राज स्कूल कालेजों में जाते हैं। ग्राज उनकी क्या हालत है ? ग्राज इस देश में 80 प्रतिशत हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके चेहरे सुखे हये हैं। पांच प्रतिशत लोग हैं जिनके बच्चों के चेहरे गुलाव की तरह से खिले हुए हैं। मगर इस देश में करोड़ों वच्चे हैं जिनकी शक्ल देखने पर लगता है कि जैसे इनकी शक्ल को कहीं से जला दिया गया है।

Legal aid Organisations

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh). Is he speaking on the General Budget? (Interruptions)

श्री रामेश्वर सिंह: हमारी भावना की इज्जत करती हैं न ग्राप। ग्राप की बगल में बैठ कर यह क्या खुराफात करते हैं। क्या खराफात करते हो भाई? मैं जो बात कह रहा हं बच्चों के लिये स्कूल में भोजन की व्यवस्था . . .

श्री संयद सिब्ते रजी: बी० जे० पी० वाले बता रहे हैं ग्रापको बार-बार क्या ग्रलायेंस हम्रा है।

श्री रामेश्वर सिंह: बच्चों के लिये--हक्त में बढ़िया स्कूल, बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था, बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बच्चों को मुफ्त कितावें और जो ग्रध्यापक पहाते हों... (समय की घंटी) ग्राखिर में यह कहता हं कि सरकार इस बात को सुन ले गरीबों के लिये स्कल में पड़ाने वाले ग्रध्या-पकों की व्यवस्था हो। एक तरफ सी रुपया, दो सौ रुपया, पांच सौ रुपया खर्च करने वालों के लिये शीत-ताप नियन्तित स्कल हैं जो गर्मी के दिन में ठंडा धौर ठंड के दिनों में गर्म वाले स्कूल हैं जहां बिहला के बच्चे पढ़ते हैं और जहां आपके ग्रौर हमारे वच्चे पढते हैं वहां पर क्या होता है। वहां पर बड़े लोगों के वच्चे पढ़ते हैं... (व्यवधान)

श्रीमती मैमुना सुल्तान: मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। मैं प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठाने के लिये आपसे माफी चाहंगी। मैं ग्रापको बताना चाहती हुं कि वे बहुत ग्रच्छी तकरीर कर रहे हैं, चीजों पर बहुत अच्छी रोशनी डाल रहे हैं लेकिन जो . . . (व्यवधान) विषय है उसी के साथ मेरा ख्याल है कि वक्फ वाला भी म्राता है। यह मझे उम्मीद है। इस लिये मैं खड़ी हुई थी। दूसरी गजारिश यह थी कि जहां तक रामेश्वर जी का ताल्ल्व है मैं आपकी बहुत ,इज्जत बरती हं, उनको लीडर मानती हं लेकिन एक चीज कहे वगैर नहीं रह सकती हालांकि मेरा मतलब इनसे बिल्कुल नहीं है, रामे-श्वर जी से नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एवः चीज याद या गयी है और वह बिल्कुल पालियामेंटरी है और वह आपको बताना चाहंगी कि जिम्मेदार के लिये यह सलाहिया जरूर है कि मजमे में जाये तो लीडर नजर आये। तो यह भी है। इस हाउस में वे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। वस यही कहना है।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं खत्म कर रहा हं। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं स्कल के बारे में बता रहा था, यह है कि हमारे बच्चों के, गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिये जहां पर स्कल है तो टाट नहीं है, टाट है तो दीवार नहीं है ग्रौर अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिये ऐसे स्कल हैं जिनमें गर्मों के दिन में ठण्डा ग्रीर ठण्ड के दिन में गर्म रहता है। शीत-ताप नियन्त्रित जिसे कहते हैं वे होते हैं स्रौर सारी श्राधनिकतम साज-सज्जा से सज्जित होते हैं।

इस देश में चपरासी का बेटा चपरासी होगा, इस देश में सिपाही का बेटा सिपाही होगा, मास्टर का बेटा मास्टर, वनिये का बेटा वनिया, दरोगा का बेटा दरोगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, मंत्री का बेटा मंत्री, प्रधान मंत्री का बेटा प्रधान मंत्री होगा, यह इस देश की व्य-वस्था है। इस व्यवस्था को ग्राप को तोडना होगा। मंत्री जी ग्राप से मेरा आग्रह है कि ग्राप इस परम्परा को तुड़वायें। इस परम्परा को चतायें कि चौकीदार का बेटा . . . (ध्यवधान) मालूम होता है जि आपके बच्चे हैं ही नहीं, अगर होते तो ऐसा क्यों कहते । हमारे बच्चे हैं इसलिये मैं कह रहा हं। तो मेरा यह कहना है कि सारी व्यवस्था को आप को बदलना पड़ेगा श्रीर भारत में आजादी को लडाई का मकसद तभी पुरा होगा नहीं तो बाजादी का मकसद पूरा नहीं हो सकता : स्वोंकि गांधी जी का संकल्प था. मेरा भी संकल्प था, गांधी जी ने जो संकल्प सुझाया था और हमारे भाई लोगों ने भी जो संकल्प किया था वह यही किया था कि आजादी का मतलव होगा आजाद रहना, आजादी का मतलब होगा, कपडे का मिलना, श्राजादी का मतलब होगा पढ़ाई को व्यवस्था, ग्राजादी का मतलव होगा, दवाई की व्यवस्था, ग्राजादी का मतलब होगा, कानुन की ब्यवस्था, ग्राजादी का मतलब होगा, काम की सरक्षा, आजादीका मतलब होगा, रहने की व्यवस्था, ग्राजादी का मतलब होगा, इज्जत से जीना। यही हमारा मकसद था और ग्राजादी ग्रव ग्रा गयी है लेकिन कानन मंत्री जी अगर यह नहीं है... (व्यवधान) तो मैं कहता है कि यह म्राजादी झुठी है। इस याजादी को खत्म करो, इस आजादी में आग लगा दो। जहां पर इन्सान को भोजन न मिलता हो, जहां न्याय न मिलता हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वात खत्म करता हं और ग्रापको धन्यवाद देता हं कि ग्राप ने मुझे इतना मौका दिया धीर कानुन मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हं कि ब्रापने हमारी बात गौर से सुनी ग्रीर मैं समझता हं कि आप उन पर अमल करेंगे। क्यों ? देखिए, कानन मंत्री जी मैं यह जरूर (व्यवधान) नहीं जानता है कि पहले मैं जाऊंगा या पहले जाप जायेंगे... (व्यवधान) एक सेकेण्ड। आपकी अवस्था मेरे बड़े भाई की अवस्था है मैं भगवान से चाहता हं कि आप दीर्घजीवी हों... (व्यवधान) कीन कव जायेगा मालूम नहीं! मझे याद है जब डा० लोहिया जी का स्वर्गवास हम्रा और श्री काभराव ने डा०, लोहिया की मृत्य पर शोक संवेदना प्रकट की तो जय प्रकाश नारायण जी ने कहा कि आज हमको यहां होना चाहिए था। जय प्रकास नारायण ने ... (व्यवधान) दिया था । मैं इसलिये कह रहा हं कि ग्रापके द्वारा जब इस देश में न्याय मिलेगा तो दनियां समझेगी कि कोशल साहब जैसे एक कोशल पुरुष इस देश में अाये थे। कौशल गण संपन्न हैं, नाम से ही कौशल नहीं विलक गण से भी कौशल हैं और उन्होंने कौशल-ता की तथा देश को राहत दी, 77 करोड़ जनता को राहत दी, इन्हीं शब्दों के साथ में ग्रपनी बात खत्म करता है।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : श्रीमन् मेरी गुजारिश थी कि जो रामेश्वर सिंह जी ने कहा है कि "इस ग्राजादी को ग्राग लगा दो" तो यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए । ये लाख कोशिश करते रहें लेकिन ये कौन होते हैं हमारी आजादी को आग (व्यवधान) लगाने वाले।...

श्री रामेश्वर सिंह: धाप काहे को ग्रापत्ति कर रही हैं । ग्रापने प्रस्ताव येवा किया मैंने उसका समयंन किया।

श्री सैयद रहनत धली प्रदेश) : मोहतरम, वाइस-वेयरमेन साहब, श्रीयती रोडा मिस्त्रि ने जो रेजोल्युशन पेश किया है, उस पर इस हाउस के अरकान ने अपने गराकद्र ध्यालात का इजहरा फरमाया । मझ से पहले इसी रेजोल्यशन पर बात करते हुए आजाद हिन्दुस्तान के एक ऐसे अजीबो-गरीव वाशिदे ने ग्रपने ख्यालात का इजहार किया है कि जिसकी सुझबझ के बारे में कुछ उनको ग्रीर हम सब को जायजा लेना पडेगा।

में समझता हं कि न सिर्फ हिन्द्स्तान में रहने-बसने वाले, बल्कि हिन्द्स्तान के अलावा, दुनिया के किसी भी चप्पे में रहने वाले हर फर्ड के दिल में ग्राजाद हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी इज्जत और उसका एक बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन मझे बड़ा दुख हुआ जब भाई रामेश्वर सिंह जी ने यह फरमाया कि उनके दिल की तमन्ना यह है कि इस ब्याजादों में ब्राग लगी दो जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हं कि (व्यवधान)

سيد رحمت على † شری

(آندهرا پردیش): محتترم وائس چهر مهن صاحبه - شريعتي روزا مستری نے جو رزولیشن پیھی کیا ھے ۔ اس پر اس ھاؤس نے ارکاری نے

افع گرانقدر کهالات کا اظهار فرمایا هـ-مجهة سے يهلے اس رؤوليشوں پر بات کوتے ہوئے آزاد ہندوستان کے ایک ایسے عصیب و غریب باشلدہ نے اپنے خيالات كا اظهار كها هے كه جسكى. سوجھ بوجھ کے ہارے میں کھے انکو ارد هم سب کو جائزة لينا يويا -

مهن سنجيتا هون که نه صوف هندوستان سهر رهنے بسنے والے -بلکه علدوستان کے علاوہ - دنیا کے کسی بھی چھے میں رہانے والے ہر فرد کے دل میں آزاد ہندو۔ تاری کی ایک بہت ہوی عزت اور اسکا ایک بهت برًا مقام مے - لیکن محم بوا دکه هوا جب بهائی رامیشور سنگه جی نے یہ فرمایا که انکے دل کی تمنا یہ ہے کہ اس آزادی میں آگ لكا دى جائے - ليكن حين يه كهذا چاعتا هرن که ددمداخلت او

श्री रामेश्वर लिह: नहीं, नहीं मौलाना साहब मैंने यह नहीं कहा कि इस ग्राजदो में ग्राग लगी दो जाए । मैंने ठीक कहा कि इस आजादी में आग लगा दी जाए जो हक यदि पुरा नहीं करती

श्री सैयव रहमत जली : अच्छा, तो यही सही । अगर रामेश्वर जिह जी जैसे लोग हिन्द्स्तान में जो ग्राजादो है, वैसी ब्राजादी को ब्राग लगाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे दरखास्त यह है कि वह श्रपने दिमाग का तिब्बी मन्नायना करायें। हर होशमंद आदमी, हर अकलमंद आदमी हर पहममंद आदमी इस बात पर न सिर्फ अकीदा बल्कि ईमान रखता है कि हमारे बुज्गी.... (व्यवधान)

†[شری سید رحمت علی: اچها دو يهي صحيم - اگر راميشور سلگه جي ع - - خلاوستان میں جو

^{† []} Translitration in Arabic script.

ازادی ہے - ویسی ازاسی کو لکانا چاھتے ھیں تو سیری ان سے درخواست یه هے که ولا النے دساغ کا طبی معائله کرائیں ۔ هر هوشماد آدسی - هر عقلمند آدسی - هر فهم سخن أدمى إس بات پر نه صرف عقيدة بلكه ايمان ركهتا هے كه همارے يؤركون ددمك خاصة

भो रामेश्वर सिह: वृद्धि और समझ का फर्क है। ... (व्यवधान)

श्री सैयद रहमत हाली: . . . ने, हमारे ब्जिगों ने और हमारे असलाफ ने अपनी शहरग का लह देकर इस मुल्क को श्राजादी दिलाई और इस आजादी की हिफाजत खाह पालियामेंट में हो, पालियामेंट के बाहर हो, श्रंदक्ती फितता ग्रीर फिसाद फैलाने वाले लोगों के हमले हों, या बहरूणी हमला हो, हर मौके पर हिन्द्स्तान के बावकार शहरो की हैसियत से मादरे-वतन की आजादी की हिफाजत की हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को भुला कर किसी छोटे-मोटे अन्याय को वेस बना कर, बनियाद बना कर अगर आजादो को कोई ग्राम लगाने की बात करता है, तो उसको हिन्द्स्तान का कोई शहरी बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं है।

मोहतरम वाइस-चेपरमैन साहब, मैं इस मौके पर यह बात अर्ज करना चाहता हुं कि इस रेजोल्यूशन पर बहुस करने सै पहले हमें यह देखना चाहिए कि ग्राजादी की लड़ाई की कहानी क्या है, किस तरह से इस म्लक के जियाले श्रावाम ने फांसी के फंदों पर झलकर मादरे-वतन को बाजादी दिलाई ग्रीर जब आजादी मिली, तो आजादी के मिलने के बाद हिन्दुस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है, वह रास्ता कोनसा रास्ता है ? क्या कोई फर्द या रामेश्वर सिंह जी इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान की श्राजादी की लडाई जब 1857 ई० में शुरू हुई, तो उसी मौके पर हमारे बुजुर्गी ने इस बात का तसफिया किया था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा, तो हमारी मंजिल क्या होगी ग्रीर 15 ग्रगस्त. 1947 ई० के बाद से लेकर अगर आप ग्राज तक की सुरतेहाल का जायजा लेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हमारे ब्जुर्गों ने याजाद हिन्दुस्तान का जो स्वाब देखा था, उस ख्वाब को पुरा करने के लिए जिन रास्तों का ताय्यन किया था. हमें इस बात का बड़ा फह्य है कि हिन्दुस्तान साबित कदमों के साथ उन्हीं राहों पर गामजन है और हम इस वात पर भरोसा रखते हैं कि हम अपने मुल्क को उन बुजुर्गों के ख्वाब का हिन्द्रस्तान बनाने का हींसला हम में मीज़द है मैं इस सिलिसिले में यह बात भी अर्ज करना चाहता हं कि हमें यह देखना है कि आजाद हिन्दुस्तान जिस ढंग से काम कर रहा है, उसमें व्कनना यानी लेजिस्लेचर ग्रमला यानी एडमिनिस्टेशन, ग्रदलिया याना जुडिशारी, ये तीनों स्तुन हमारे समाज के ग्राम ग्रादमी के लिए हैं, म्राजाद हिन्द्स्तानी शहरी के लिये सुख और ग्रमन की शांति की जिंदगी लाने के लिए यह तीनों शोबे काम करते हैं। विलाशवह हमारे मुल्क में जो 200 साल से ज्यादा गलामी के बन्धनों में जकड़ा हुआ था, उसमें बहुत सी ऐसी बराइयां और कमजोरियां आ गई हैं कि उन बराइयों और कमजोरियों को पूरा तरह से दूर करने में ग्रभी हम कामयाब नहीं हए हैं और हमें कामयाबी के लिये हौसले से श्रीर हिम्मत के साथ काम करना है।

जहां तक कि गरीव आदमी के लिए इन्साफ हो, गरीब आदमी तक इन्साफ को पहुंचाने का सवाल है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो में बड़े दूख के साथ यह बात अर्ज करना चाहता हं कि इस मुल्क में इन्साफ

[था) सैयद रहमर खली] महंगा है ग्रीर शायद जिसकी लाठी, उसको भैंस वाला मामला हमें कारफर्मा दिखाई देता है । मैं मोहतरम ला मिनिस्टर साहब से यह बात जनना चाहता हं कि ग्राज हिन्द्स्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्टस में, सुप्रोम कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं ?

मैंने कुछ ग्रसी पहले एक न्यूज पढ़ी थी एक ग्रखबार में कि केरल का एक केस पिछले तीन सौ साल से हिन्दुस्तान की एक ग्राला ग्रदालत में जोकि ग्रब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना-पहचाना जाता है, पेंडिंग पड़ा है ग्रीर मसला सिर्फ यह है कि एक मजहबी रस्म के म।के पर हाथी पर जो जलस निकाला जाता है---झंडा उस हाथी के माथे पर तिलक उपर से लगाया जाए या नीचे से लगाया जाए । ग्रव ग्राप सोचें कि ग्रगर 3 सदियों में, 300 सालों में इस मसले का तस्पिया कोर्ट नहीं बार सकता है तो हमें देखना पड़ेमा कि ग्रदालत किस हंग की है। जब एक मसला हमारे सामने आया है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे गांवों में, हमारे ताल्लकों में, हमारे जिलों में और शहरों में जो ग्राबादी है ग्रीर वहां जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं ग्रगर वह किसी ग्रदालती कैस में मुब्बितला हो जायें तो उन को उस से किस तरह से छटकारा मिल सकेगा। बिलाश्भा हमारी हक्मत की नियत साफ है। हकमत ने लीगल बोर्ड कायम करने के सिलसिले में पहल की है लेकिन जिस तरह से रोडा मिस्त्री साहब ने तबज्जेह दिलायी है विः ग्राप इस लीगल ऐंड पर सालाना कितना पैसा खर्च करने हैं यह देखा जाय । ग्रगर दश, बारह लाख रुपया महैया कर दिया जाए तो न्या उन दस, बारह लाख रुपयों से तमाम ग्रीव ब्रादिभयों तक हम इंसाफ पहुंचा सकेंगे । मैं जानना चाहता हं कि ताल्ल्कों ग्रीर डिस्टिन्ट से हट कर क्या हाई

कोर्टस में धाप ने लीगल ऐड के लिये वकोलों की कोई खिदमत हासिल की है ग्रीर फिर ग्राप जानते हैं कि जब अदालत में कोई मकदमा पेश होता है तो बारसब्त महुई पर आता है और बारसब्त जब मुद्दई पर ब्राता है तो ग्राप सोचिये कि एक बड़े ग्रादमी की नाइंसाफी के खिलाफ ग्रदालत का दरवाजा खटखटाने के लिये एक ग्रादमी जाय ग्रौर बारेसब्त उस पर हो तो ग्राप सोचें कि क्या धन के बल पर, ताकत के बन पर. ग्रसर के बल पर एक बड़ा फरीक उस की एवीडेंस का मकाबला कर सकता है या नहीं । मैं ऐसा महसूस करता हं एट ले मैन की हैसियत से दिः एवीडेंस ऐक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी । मैं महसूस करता हं कि जिस तरह से रेप केसेज में बारे सबत के बारे में भ्राप ने तरमीम दी है उसी तरह से गरीब आदमी के हवा में इंसाफ कराने के लिए यह जरूरी है कि एवीडेंस ऐक्ट में तरमीम की जाये ताबिः गरीब ब्रादमी को भी फायदा पहुंच सके।

बड़े दुख की बार है कि लीगल बोर्ड के लिये जो काम करते हैं, उस में सिफं तीन ग्रफसर काम करते हैं ग्रौर ग्रगर तीन ही ग्रफसर काम करते हैं तो ग्राप सोचें कि क्या हमारे जेहन में जो बात है कि गरीब आदमी तक इंसाफ पहुंचाया जाय वह पहुंचाया जा सकता है ? इस का जायजा हम को लेना पड़ेगा।

में एक बात खास तौर पर ली मिनिस्टर का इसला के लिये ग्रज सरना चाहता हं। दिल्ली की एक घदालत में एक मक्षदमा पेश हया । एक साहब की जायदाद पर दूसरे साहब लीज पर मीजद थे ग्रीर उस के बादवे अपनी दुकान बढ़ा गये । तीसरे ग्रादमी ने उस द्वान पर कब्जा ,कर लिया । यह इस मामले को ले कर कोई में जब गये तो f ē दखलिये की डिग्री

डिग्री मिलने के बाद जब वे लोग दख-लिया कराने के लिए मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर बेलिक को गंडों ने डरा-धमका कर भगा दिया ग्रीर उन से यह कहा गया कि ग्राप पुलिस की मदद चाहते हैं तो फिर से आप को ग्रदालत में दरखास्त देनी पडेगी । जब पुलिस की मदद के लिए अदालत में दरखास्त दी गयी तो बजाय इस के कि उस दखलिये की डिग्री को तामील किया जाता, वहां पर यह नहा गया, जो अनुप्राथराइज्ड फरोन काबिज है उस को फिर से नोटिस दे दो गई ग्रीर फिर यह मामला वहां से निकल कर हाई कोर्ट में पहुंचा है। यगर इस तरह की पेचीदगियां पैदा कर दो जाएं गरीव ग्रादमी के रास्ते में तो वह गरीब ब्रादमी किस तरह इंसाफ हासिल कर सकता है । इस लिए यह जरूरी है कि हम इस ग्रच्डे ग्रीर नेक मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा बोकला रियामतों में, शहरों में मुहैया करें ताकि हर लेवल पर गरीव ग्रादमी की मदद का इन्तजाम कर सर्वे।

ग्राखीर में मैं एक वात कहना चाहता हं कि ग्राप गरीब ग्रादमी की इमदाद के लिए जिन बोकता को एपोडन्ट करते हैं उन के मकावले जो दूसरे वकील माने हैं वे किस दर्जे के होते हैं। माने दर्जे के वकील के सामने नये आदमी को मतडन कर दिया जाय तो क्या धाप समझते हैं कि गरीव ग्रादमी के हक में इंसाफ हो सकेगा । मेरा ग्रपना ग्रहसास यह है कि ऐसे बोकता साहबात जिन्होंने ग्रपने पेणे में नाम ऊंचा कमाया है, काफी उनकी प्रेक्टिस है उन्हें भी रजाकाराना तौर पर मैदाने-अमल में आना चाहिए, उन्हें भी अपनी खिदमात गरीब अवाम की भलाई के लिए देनी चाहिए ताकि गरीब के हक में इंसाफ हो सके। मले यकीन है कि ऐसा दिन आयेगा

हिन्दुस्तान में कि न सिर्फ हमारी ग्राजादी बरकरार रहेगी बल्कि ब्राजादी में ब्राग लगाने की बातें करने वाले लोगों के दिमाग में भी इसलाह हो सकेगी।

†[شرمی سید رحمت علی : هما ے اسلاف نے - همارے بورگوں ہے-ایدی شهه رک کا لهو دیکر اس مدک کو آزادی دالئی اور اس آزادی كى حفاظت خواه يارليمنت مين ھو - يارليمنت کے باعر ھو - اندروني فدلاء اور فساد پهيلانے والے لوگوں نے حملے هوں - يا بيروي حمله هو -هر موقعه پر همین هادوستان د ہا وقار شہری کی حیثیت سے مادر وطن کی آزادی کی حفاظت کی هم سیکی ذمه داری هے اور اس قحه داری کو پهلاکر کسی جهوثے موثے ابیائے کو بہس بداکر -بنیاء بناکر اگر آزادی کو کوئی آگ لگانے کی بات کرتا ہے تو اسکو هندوستان کا کوئی شهری برداشت

محتدم والس چير مين صاحب میں اس موقعہ پر بنہ بات عرض كرنا جاهتا هون كه اس رزبليشون یو بحث کرنے سے پہلے، همیں یہ دیکها چاهد که آزادی کی نوائی †[] Transliteration in Arabic script.

کرنے کیلئے تیار نہیں ہے۔

هندوستان جس قهنگ سے کام کر رها هے اس میں مقلقہ یعلی لیجسلیجر عامله يعلى ايدمنستريشي - عدليه يعلى جوديشهري - أن تهلول سكونول کو جو همارے سماج کے عام آدسی کے لئے هيں - آزاد هلدوستاني شهري کے للے سکھ اور امن کی-شانعیکی زندگی لانے کے لگے یہ تینوں شعبہ کام کرتے هیں - بلاشبه همارے ملک میں جو ٠٠٠ سال سے زیادہ غلامی کی زنجیدوں مين جكود هوا تها اس مين بهت سے ایسی برائیاں آگٹی میں که ان برائهوں اور کمؤوریوں کو پوری طرح سے دور کرنے میں ابھی هم کامیاب نیدن هولے هیں اور همیں کامیابی نے لئے حوصلہ اور هست کے ساتھ کام کونا ھے ۔

جهاں تک که غریب آدمی کیلئے انصاف هو - غريب آدمي تک انصاف ئے پہلچانے کا سوال ہے اس کے بارے میں جب هم بات کرتے هیں تو میں بڑے دکو کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاهدا سوں که اس ملک میں انصاف مهلا هے اور شاید جس کی لاتهی اس کی بهیدس والا معامله کار فرما د**کهائی دیتا ہے۔ می**ں

[شری سید رحمت علی] کی کہانی کیا ہے کسطرے سے اس ملک کے جیالے عوام نے پھانسی کے پهندوں پر جهول کر سادر وطن کو آزادی دلائی ہے - اور جب آزادی ملے تو آزادی کے ملنے کے بعد هدوستان جس راسته پر چل رها هے وہ راسته کورن سا راسته هے - کیا کوئی فرد یا رامیشور سلگه جی اس بات سے انکار کر ساتھے ھیں کہ هندوستان کی آزادی کی لوائی جب ١٨٥٧ع مين شروع عوثي تو اسی موقعہ پر همارے بزرگوں نے اس بات کا تصفیم کیا تھا کہ جب هدوستان آزاد هوگا تو هماری منزل کیا هوگی اور ۱۵ اگست۱۹۳۷ عیسوی کے بعد سے لھکر آپ آجتک کی صورتحمال كا جائزة لينكي تو آيكو معلوم هوكا که همارے بزرگوں نے آزاد هدوستان x جو خواب ديكها تها - اس خواب کو پورا کرنے کھلگے جن راستوں کا تعین کیا تھا - همیں اس بات کا بوا فخمر مے که هندوستان ثابت قدسی کے ساتھ انہیں راھوں پر گامزن ھے -اور هم اس بات ير بهروسه ركهتم هين کہ هم اپنے ملک کو ان بورگوں کے خواب کا هدوستان بدانے کا حوصله هم میں موجود ہے - میں اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاءتا هوں که همیں یه دیکھنا هے که آزاد

متحترم لا ملستر صاحب سے یہ بات جانبا جامعا موں کہ آج **مند**وستاریں کی مختلف هائی کورت میں - سپریم كورث مين كتاب كيسو پينڌنگ هين -میں نے کچھ عرصه پہلے ایک نیوز پوهی تهی ایک اخبار میں که کهرل کا ایک کیس پنچھلے تھی سو سال سے هندوستان كي ايك اعلى عدالت میں جو که اب سپریم کورٹ کے نام سے جانا پہنچانا جانا ہے بیندنک ہوا هے اور مسدّله صرف یه هے که ایک مڈھیے رسم کے موقعہ پر ھاٹھی پر جو جلوس نکال جاتا ہے — اس هاتهی کے ساتھے پر تلک اوپر سے المایا جائے یا نیمے سے لکایا جائے۔ اب آپ سوچين که اگر تين سيون مين -تهن سو سالون مین ا*س مسکله* کا تصلیم کورٹ تہیں کر سکتا ہے ٹو هبین دیکینا پونے کا که عدالت کس تعلک کی ہے۔ جب ایک مسئلہ هنارے ساملے آیا ہے تو همیں دیکھلا پودیا که همارے گاؤں میں - هماری تعلقوں میں - همارے ضلعوں میں -اور شہروں میں جو آبادی ہے اور

و**هان ج**و لرک رهني هين – جو غربيب لوگ هيان - اگو ولا کسي مدالتي كيس مين مبتلا هو جائين ٹو انکو اس سے کسطرے سے چھٹکارا مل کے ا - بلا شبہ هماری حکومت کی تهنت ُصاف ہے - حکومت نے لیکل ہورہ قائم کرنے کے سلسلے میں پہل کی ہے لیکن جسطرے سے روقہ مستری صاحبہ نے توجہ دائی ہے که آپ اس لیکل اید پر سالانه کتنا لهدي عربي هون يه ديكها جائے ۔ اگر دس بارہ لاکھه روپهه مهما كو ديا جائے تو كيا ان دس بارة لاکھتا روپیوں سے تبنام غویب آدمیوں تک مم انصاف پہلھا سکیلگے -مهٰی جاننا چاهنا هن که تعلقون اور ڈسٹرک سے ھٹ کر کیا آپ نے لیکل ایڈ کیلئے وکا کی کوئی شدست حاصل کی ہے۔ اور پھر آب جاناتے هيں كه جب مدالت ميں نوای مقدمه پیش هوتا هے دو بار ئينُوس مدمى پر آتا هـ - اور بالٰ ثبوت جب مدعى يو أتا هے تو آپ سہجائے کہ ایک ہوے آدسی کی

تو اپ سوچیں که کیا همارے ذهبی ميں جو بات ہے که غريب آدمي تك انصاف يهنجايا جائے وہ يهنجايا جا سکتا ہے۔ اس کا جائزہ هم کو لینا ہوے گا ۔

میں ایک بات خاص طور پر لا منسلم کی اطلاع کے لئے عرض کرنا چاهتا هور - دلی کی ایک عدالت مين ايك مقدمة يهم هوا - ايك صاحب کی جائداد پر دوسرے صاحب لیز یر موجود تھے اور اس کے بعد وہ ابلی دولان بوها گئے - تیسوے آدمی اـ دولان پر قبض کر لیا - یه اس معاماء کو اے کر کرے میں جب کئے تو نظامہ کی ذکری ملی -تخلیه کی ذکر مللے کے بعد جب وہ لوگ تنخلیہ کرانے کے لئے مقام پر يهنج تو وهال پر بيليف كو غندول نے درا دھک کر بھا دیا او ان سے ہے کہا گیا کہ آپ پولیس کی مدد چاهتے هيں تو پهر سے آپ كو عدالت

[شری سید رحمت علی نا انصافی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کھلئے ایک ادسی جائے اور بار ثبوت اس پر هو تو آپ سوچين کہ کیا آپ دعن کے بل ہو - طاقت کے بل پر - اثر کے بل پر ایک بوا فريق اسكى ايويدينس كا مقابله کر ۱۳۲۰ هے یا نهیں - میں ایسا متعسوس برتا ہوں کہ ایک لے مهن کی حیثیت سے که ایوی قیلس ایکت میں تبدیلی کرنی پریگی -میں محصوس کرتا هوں که جسطرے سے ریپ کیسز میں بار تبوت کے بارے میں آپ نے ترمیم کی ہے اسی طوح سے فریب آدمی کے حق میں انصاف كوانے كيائے يه ضوري هے كه ایویدینس ایکت میں ترمیم کی جائے تاکہ غریب آدمی کو بھی فائدہ پہلچ سکے -

بوے دکھ کی بات ہے کہ لیکل بررد کے لئے جو کام کرتے میں - اس میں صوب تین ایسر کام کرتے ھیں اور اگر تھی ھی افسر کام کرتے ھیوں

میں درخواست دیلی ہو۔ کی -جب پولیس کی مدد کے لئے عدالت مهن درخواست دی گئی تو بجائے اس کے کہ اس تخلیہ کی ڈگری کو تعمهل کیا جاتا تو وهاں پر یہ کہا کها جو وهاں پر ان اتهارائزة ريق قابض ہے اس کو پہر سے نوٹس دی نی گئی اور پھر یہ معاملہ رہاں ہے نکل کر ھائی کورے میں پہنچا ہے -اگر اس طرح کی پیچهدگیاں بیدا کو دی جائیں فریب آدسی کے راستے میں - تو وہ فریب آدمی کس طرح انصاف حاصل کر علما ہے - اس لئے ضروری ھے ک هم اس اچھے اور نیک مقصد کے لئے زیادہ سے زیادہ وکا ري سٽون مهن - شهرون مهن مهها کریس تاکه هر لهول پر فریب آدمی کے مدد کا انتظام کر سکیں -

آخر مهر ایک بات نهنا جاهتا هوں که آپ فریب آدمی کی امداد کے لئے جن وکلا کو ایاللٹ کرتے ہیں ان کے مقابلے جو دوسرے وکیل آتے ھیں۔ وہ کس دوجہ کے ھوتے ھیں -اعلی درجه کے وقیل کے ساملے نگے

ادمی کو متمعین کر دیا جائے تو کیا اپ سمجھتے میں کہ فریب آدمی کے حق میں انصاف هو سکے کا ۔ میرا اينا احساس يه هے كه ايسے وكا صاحبان جلهوں نے ابعے پیشه میں نام ارتیجا کمایا ہے۔ کافی ان کی پريكتس هے أنهين بهي رضاكارانه طور پر میدان عمل میں آنا چاھئے۔ انهوں بھی ایلی شدمات فریب عوام دی بھائی کے لئے دینی چاھئیں -تاکہ فریب کے حق میں انصاف ہو - 2

مجهد يقرن هے كه ايسا دور آئے لا هندوستان میں - که نه صرف هماری آزادی برقرار رهے کی بلکه آزادی میں آگ لگانے کی بات کنے والے لوگوں کے دماغ کی بھی اصلام [- 3 and 30

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, we are all thankful to Mrs. Roda Mistry for raising in this House a very important but a vast subject,

Before we go on to the remedies suggested by her, it is necessary to consider the problem from a realistic angle. Let us first of aU go through the relevant provisions of the Constitution. Article 21 of the Constitu[Shri Sankar Prasad Mitra]

Legal and Organisations

tion prescribes; "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure laid down by law." Then Article 39A was introduced in the chapter on Directive Principles by the 42nd Amendment in 1976. This Article 39A in the Directive Principles has two major aspects. One is equal justice, and the other is freelegal aid. The provisions are these: "The State shall secure that the operation of the lega] system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall, in particular, provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing, justice are not denied to any citizen by reason of economic or o'her disability." Now,

read with article 21A, thi 4 P.M- directive has been taken

of by cognisance court to lead to certain guidelines in the administration of justice. These guidelines are; 1. When the accused is unable to engage a lawyer owing to poverty or similar circumstances, the trial would be vitiated unless the State offers free legal aid for his defence by engaging a lawyer to whose engamement the accused does not object, 2. To allow* an indigent claimant for compensation for road accidents to apply in forma pauperis. 3. To compel the jail authorities to supply a free copy of the judgement to a prisoner so that he may exercise his right to appeal. These principles have been enunciated in Hus-sainara's case, reported in A.I.R. 1979 Supreme Court 1369, in Haskot's case, reported in A.I.R. 1978 Supreme Court 1548 and in the case of the State of Haryana-the State of the Law Ministerreported in A.I.R. 1979 Supreme Court 855. Up till now, excent in the State of Bihar, there has been no legislation. But schemes and other ways, as envisaged in article 39A. have been on trial.

This legal aid has a history. First, a committee was fromed with the Senior Justice Bhagwati. That Commitiee made a report. Then, a second committee was formed with Justice Krishna Iyer. The Krishna Iyer Committee gave a report. Then, a third committee was constituted with junior Justice Bhagwati and that repoit was also made available. Ultimately, the legal aid implementation committee was set up by the Central Government with a Supreme Court judge as the Chairman. Sir, as I have already said, this article 39A, has mainly two wings, namely equal justice and free legal aid. When we come to remedies, I am firmly of the opinion, which I have expressed repeatedly, both within this House and outside, that without decentralisation of the legal system and the restructuring of the judicial procedure, no legal aid scheme, not even a legislation, can be realiy effective. Free legal aid has three facets. 1. Arousing people's con-scioueness about social reform legislations which have been passed ever since the attainment of Independence. 2. At the outset, trying to bring the parties together for a compromise.

And if a compromise becomes an impossibility, then only, the third stage would arise, namely, appearance for an indigent litigant in courts of law. Sir, the legal aid implementation committee has formulated a model scheme. Under this model scheme, there are to be fitfteen members, twelve of whom are to be nominated by the respective State Governments. Up till now this model scheme has been accepted by the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Harvana, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Pondicherry. I have already said that the State of Bihar has passed its own legislation. The States Assam, Bihar, Himachal

Pradesh, Jammu and Kashmir, K.e-Irala, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territories of Dadra Nagar Haveli, Goa Daman and Diu, have legal schemes of their own. This is the state of affairs today. Now this legal aid programme in the States and the Union Territories at the moment is financed largely out of grants made by respective States or Union Territories. The Central Government sanctions grant-in-aid on the recommendations of the Committee for implementing legal aid schemes for specific projects to State Legal Aid and Advice Boards and social and voluntary institutions and organisations involved in the field of legal aid. This is the present position. If this position is immediately altered, there would be serious difficulties and it should be done with great care and caution. It is doubtful as to whether the Boards set up under the model scheme would be able to keep legal aid above all political considerations because, as I have said, out of 15 members, 12 members are to be nominated by the State Governments concerned.

Sir, what has to be done immedi-ptely, in my opinion, is that the Central Government should give more and more encouragement to social and voluntary institutions and organisations involved in the field of legal aid, subject to scrutiny of their accounts and whatever assistance is given to these organisations, a statement of that assistance should be laid on the Table of Parliament every year. Otherwise, there is possibility of abuses by autonomous Boards as (suggested or any other bodies and these abuses must be avoided by us by all means.

Sir, I have studied legal aid schemes in the United States of America, in the United Kingdom and in the Soviet Union. Both in the United Kingdom and the United States the bar associations have come forward with peoples' programmes for legal aid. They have raised funds, there are trust funds which are helping

them and it is a movement, a nationwide movemenl. So far as the Soviet Union is concerned, you know that their legal system is entirely different. Their courts have no power whatsoever to pass any orders against the Government as such. No notification, no legislation issued or passed by Government can be challenged in any court of law, A Government officer, if found guilty of corruption, may be tried in courts of law. In the Soviet system, Sir, there lis a collegium of lawyers. The litigant goes to the collegium. The collegium gives a list of lawyers and he has to choose his own lawyer. He pays the fees not to the lawyer but io the collegium itself. The collegium keeps a portion of the fees and gives the balance to the lawyer. And the portion that is retained by the collegium is used either for purposes of its own administrative expenses or for giving aid to the poor. In those countries, these have become more or less people's movements and there has been people's consciousness all around. In our country up till now, this movement is still in its infancy and has not yet assumed nattion-wide proportions. At this stage, it would perhaps be better to leave it to the States to have their own legislations if they want to, but I do not think It would be advisable to have a central legislation. But the Centre should try the other methods indicated under Article 39A ln all seriousness.

With these words. I appreciate the spirit in which this Resolution has been brought, but I hope that the mover of this Resolution would kindly consider the realities of the situation today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Dr. Najma Heptulla, absent Shri Hansraj Bhardwaj.

श्री लाडली मोहन निगम प्रदेश) : श्रीमन, पिछली बार यह मंसुबा हुन्ना था कि उस दिन का प्रस्ताव जल्दी खत्म कर दिया जाय ताकि रोडा जी का प्रस्ताव लिया जा सके।

श्रा ल डला महिन निगम

पहले वाला प्रस्ताय जल्दी खत्म कर दिया गया ग्रीर उसके बाद दूसरा प्रस्ताव ग्राया । मैं चाहता हूं कि ग्राज भी जो तीसरे नम्बर पर प्रस्ताय है उसको भी ले लिया जाय, इसलिए रोडी जी के प्रस्ताय को जल्दी खत्म कर दिया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): One and a half hours' time is given to this Resolution today and thereafter your Resolution will be taken up. Shri Bhardwaj.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Hon'ble Vice-Chairman, Sir, it is well known that we inherit2d our laws from the Britishers. It is a legacy with which we are continuing today. In India, such judicial reforms have not take_n place as they should have. In this situation when our forefathers brought the Constitution and when they made provision for equality—social, political, economic-then it has to be considered and it has to be given thought to by us whether equality is possible in relation to justice when there are vast economic disparities in tha population itself. The question is, when a poor man is pitched against a very rich man, can he assert his right effectively in that legal battle? This is a very significant question. When we talk about justice, the capacity to defend is always involved and that capacity to defend is material because it has also to be accepted that when you put a sound counsel as against a weak counsel, the ease is always affected. The better the counsel available. hc bett sr are the prospects of winning the case. As a professional I know it. Bir. Therefore, when it was decided that the handicap in the way of the poor man has to be removed, the provision of legal aid to him was thought of. The rich man will not run about for logal aid. The rich man has all the avenues already

with him. Therefore, he can have the constliest of the costly counsel can have all the things at his com mand to get the case delayed if it is going against him and there are nu merous way, by which he has defi nitely an advantage over poor man. Our forefathers made protec permissible tive discrimination in the Constitution itself. When we talk of equality, if it relates to poor man, scheduled castes, duled tribes and backward people protective have been given discrimi So, in this situation, nation. we talk of legal aid, as a compre hensive programme it should comp The provision of legal aid is the mi nimum that you can give to a poor man. When this thing was discussed, I myself was in the mo vement for legal aid; we had under taken numerous seminars 1976.when article 39-A was added fo. the Constitution in Chapter IV, of Directive We had gone Principles. about throughout the country, prac аU the States, and lawyers, judges, politicians, social workers each one of them was involved then a unanimous consensus was brought in that something should done in the Constitution itself that the Government may take seriously that the necessity of legal aid is available. So it was brought in 1976 and enforced in 1977, as our friend who spoke just now when article 39-A was inserted. Tlie was that the poor should brought nearer to justice. We could not take justice to his doorsteps, but w? tried to bring it nearer by nar rowing the gap. I eoncede that legal aid is not *he answer. Judicial re forms coupled with legal aid is the answer, if we are really sincere to solve the problem of disparities the rich and the poor eriving iustice to the poor. So when th¹c Article 39-A was brought, movement in the country. wa≪ Justice Mitra spoke that in the UK ani th" TJSA the Bar has undertaken this will remind him that

Legal and Organisations

must have been at the Bar at that time when there was a movement in India ako before 1977. And it was such a movement that not less than a thousand advocates attended each one of the meetings that were held throughout the nook arid corner oi the country. And then the programme of legal aid and Legal Aid Committee was started. Many eminent lawyers and judges were associated with it. Only then this new provision in the Directive Principles was made. But, unfortunately, it so happened that in March 1977 we lost and this programme received a setback because legal aid was abadjtm-ed from 1977 to 1980; it is a record ed fact that at that time it was not at all attended to. But in 1980, when our leader Mrs. Gandhi again came to power, one of the first programme that was undertaken was of legal iaid. And in conformity with the decision, Bhagwati Legal Aid Committee was constituted, then the then Law Minister was gracious enough to allocate certain funds and give aill (encouragement. But the question is that ws should not stop at that. Legal aid is one of the most essential programmes that we have to implement for the poor. Legai aid is the minimum which you could do if your system of judicial administration has to stay. Therefore, we should not stay at Bhagwati Committee or Desai Committee, or for that matter any other Committee. I humbly suggest that we should introduce comprehensive legal aid. We must think of an apex body at the Centre and legal aid should percolate from th» apex body to the various States, but it must be helped by the Centre because the Bar of Justice Mitra's time is no longer in existence. Then there were many advocates who took part in the freedom struggle, sacrificed everything, but there is one section of the Bar (The Vice-Chairman (Shrimati Margaret Alva) in the Chair) which does not want to part with avert little part of their income and

won't be a party to this scheme of legal aid. But we are committed to it.

statutory

When everybody talks of socialism, we have to proceed in the direction of socialism. We must not forget that legal aid is the minimum, with-

; out which you cannot talk of justice. We are very happy that the hon. Law Minister said that even the court fee should be exempted. He started with that slogan. We are very happy. We give our good wishes to him and hope he succeeds IP that, because there is no reason why a poor man should be asked to pay if legal aid and justice in the real sense of the word has to be given to him. Justice should not be linked with ifs and buts. Justice should be offered without that. If adcd-e. Jehangir concept of Justice is to be there, why should a poor man be asked to pay money when he comes to you? Therefore, it is necessary- our hon, friend, Mrs. Rod a Mistry has brought a very very important

Resolution—that we must consider the spirit of the Resolution. We must consider that the Bhagwati Committee alone will not solve the problem. The Government should consider having a statutory legal aid board or a statutory legal aid committee or authoritywhatever name you may give it-under the Department of Justice or Law ot Legal Aid, whatever it is to ses that the legal aid spreads to the nook and corner of the country.

Many people do not know what their legal rights are. What is writ* ten in the Constitution, the illiterate people do not know. Therefore, you will have to go and tell them that they are free, that they are economically and socially free and free -from all the satchels of indirect slavery. Therefore, when we talk of legal aid, legal awareness should be one of the programmes, education must also be a part of it, because the dumb-founded poo_r people cannot

Leeal and Organisations

[Shri Hansraj Bhardwaj] fight the battle with the rich and the monopolist.

Today, unfortunately, though everybody assures that we are socialists, but, sorry, we cannot be true to the word unless we go to the poor and tell them that we sincerely mean their company. Everybody talks equality. Equality with whom? Equality with a person who is above him, not to a person who is him? This is the real concept of equality. If you want to be equal, you should try to be equal with smaller person also, not to a taller person alone. This should be the concept of equality in a country like India.

In the United States and the U.K. —I have also been there—no programme can succeed in the initial stage unless it gets the blessing of the Government because the Government has got the, avenues. Government can initially give some grants. The_n the other peopl_e who have got the means will also contribute, go, that can also help in building up an atmosphere of legal aid. After all, what are you giving? Iakhs you are giving for legal aid. Rs. 60 lakhs are lost by the Government in a stay matter of a tax case. Around Rs. 5,000 crores of the Government of India has been stayed in the (Supreme Court and other courts. That can be tolerated, and Rs. 60 lakhs considered a wasteful expenditure here! I cannot understand. We must grant Rs. 60 crores for the ooor. Rs. 600 crores for the poor, if justice can be given to them at that cost.

Therefore, Madam, I support this Resolution. A system of comprehensive legal aid must be brought through the Central Government, through the State Governments, and it must go down at least to the district level so that the poor man who lives in a poor backward area, can go to the district headquarters. Today a man comes from far off Karntaka, Andhra Pradesh, to the Supreme Court. We find that he comet> in dirty clothes to the Supreme Court. He says, "You plead my case." We say, "O.K. Pay Rs. 5,000 to advocate on record and Rs. 5,000 to senior advocate and then sit outside our chamber till we call you." This is the justice we are giving to the poor man.

Fortunately we are working under a leader who is sincere to the poor. And that is why the Justice Bhagwati Legal Aid Committee was constituted and other committes were constituted. These committees could be converted into a programme in a more comprehensive way. And we the members of the Bar who have come from the poor strata of the society, are prepared to sacrifice our every thing in this, if necessary. We have already done that. If Justice Mitra starts with that, he will see that thousands and thousands of people who know the pinch of the poor man will co-operate with him.

श्री सूरज प्रसाद (विहार) : महो-दया, कानन सहायता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव ग्राया है मैं उसका समर्थन करता हं। मैं इसलिए समर्थन करता हं क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंव के अन्दर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जम्मेदारी होनी चाहिये। लेकिन श्राजादी के 35-36 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि ग्राज भी लोगों को महंगे दर पर न्याय मिलता है। गरीबों को कचहरियों में पहुंचना ग्रौर सस्ता न्याय पाना एक ग्रसम्भव सी बात है। ग्रगर सही मायने में देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेज हैं उसका 99.9 परसेंट केस अमीरों के बीच में ही हैं । हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है ग्रीर डिस्ट्क्ट कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या ग्रर्थ यह लगाया जाय कि देश के अन्दर गरीबों पर कोई जल्म ग्रीर ग्रत्याचार नहीं होता है जिससे वे कोई केस हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते ? ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे ग्रपना केस इन कचहरियों तक ला सकें ग्रीर लाने में जो खर्च होता हैं उसे वहन करना, वर्दाण्त करना उनकी द्यार्थिक शक्ति के परे की बात है। केसे ज को कोर्ट में लाने की बात तो छोड दीजिए बहुत से ऐसे भी केसेज होते हैं जिन केसेज को वे याने मे लेही नहीं जाते हैं इसलिए कि उनके सामने हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, खाने जाने का खर्च ग्रीर कोर्ट के खर्च, इन तमाम खर्चों के चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में केस फाइल करना उचित नही समझते हैं । इसलिए जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिल पाता है । सरकार वार-बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50 प्रतिशत है इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जायें और यह महंगा न्यायय प्राप्त करें यह उनके लिए ग्रसम्भव सी बात है ।

सरकार ने बहत तरह के कानन बनाये हैं । हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानन बनाया है, न्युनतम मजदूरी का कानुन बनाया है, सोणल डिसेबिलिटी को दूर करने का कानन बनाया है और इस तरह के अनेक शामाजिक कानून बनाये हैं जो कि ग्राम तौर पर गरीबों के लिए ही बनाये गये हैं और उनसे यह अपेका की गयी थी कि इन काननों के जरिये गरीबों को कुछ राहत दिलायी जायेगी । हम लोग देहात से आते हैं और हम लोग पाते यह है कि हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघपं होता है, उस संघपं के लिए केस फाइल करना कचहरियों में, गरीबों के लिए बिल्कुल ही ग्रसम्भव है। उसी तरह से फाजिल जमीन से जितता केसेज, न्युनतम मजदूरी से जनित केसेज, छुबाछात से उत्पादित बीर उनसे जनित जो वैसेज होते हैं, इन तमाम वेसेज को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असम्भव सी बात हो गयी है । इसी लिए जरूरत इस वात की है कि जो कानुन सरकार ने पारित किये हैं उनके जरिए भ्रगर सरकार सचमच में गरीवों को स्थाय देना चाहती है, अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हए है, उन काननों के जरिये गरीबों को राहत मिले तो जरूरत इस बात की है कि सरकार उनकी सस्ता न्याय देने के सम्बन्ध में कोई मजबत कदम उठाये । क्या होना चाहिए? प्रश्न यह है कि कैसे सस्ता न्याय उनको दिलाय जा सकता है। एक सुझाव ग्राया कि सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार को कोई बोर्ड या इस तरह का कोई कानन नहीं बनाना चाहिए वल्कि बालंटरी जो ग्रागैनाइजेशन्स है उनके ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए कि वे चंदा दें ग्रीर चंदे के जरिये जो पैसा आये उस पैसे के जरिये गरीबों को कचहरियों के ग्रन्दर सस्ता न्याय दिलाने की भ्रोर कदम उठ सकता है। लेकिन मेरी समझ यह है कि वालंटरी ग्रागें-नाइजेशन्स के जरिये चंदा ग्राये ग्रीर उस चंदे से गरीबों को न्याय मिले यह संभव नहीं है। इंग्लैंड ग्रीर श्रमेरिका के ग्रन्दर मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं जानता हं कि उन देशों के अन्दर न्याय सस्ता नहीं है। बल्कि न्याय बहुत ही मंहगा है। इसलिए वालंटरी ग्रागेनाइजेशन के जरिए पैसा जमा करके गरीबों को सस्ता न्याय दिलवाया जा सके, यह हमारे लिए इस बात को स्वीकार करना या

श्रः भरज प्रसाद] इसका समर्थन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । इस तह से में समाजवादी देशों के बारे में कुछ जानता हं-जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की हकुमत है ग्रमी मिला जी ने बोलते हुए उन देशों के बारे में भ्रालोचना की । जहां तक मेरी जानकारी है, उन देशों के ग्रन्दर जो वकील होते हैं, वह सरकारी वकील होते हैं --पक्ष ग्रीर विपक्ष, दोनों को सरकार की तरफ से वकील बिना फीस का मिलता है।

में चाहता हं कि सरकार को समाज-वादी देश के अन्दर न्याय दिलाने की जो पद्धति है, उसका गहराई से ग्रध्ययन करना चाहिए और हिन्दूस्तान की परि-स्थिति में उसको िस ढंग से लाग किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए । ग्रगर समाजवादी देशों की पद्धति सचम्च में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचम्च में गरीबों को उससे सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हं कि भारत को उस पद्धति को लागु करने की दिशा में गम्भी न्ता से विचार करना चाहिए क्योंकि सस्ता न्याय मैं समझता हं कि महज घोषणा करने से नही होगा। गरीबों के बारे में आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है । शायद ही कोई व्यक्ति हो, जो ग्रमोरों की तरक्की चाहता हो, जो हिन्द्स्तान में पंजिवाद का समर्थक हो, जो हिन्द्स्तान में धमीरणाही का समर्थक हो, जो हिन्द्स्तान में मानोपली का समर्थक हो, प्रावाद का समर्थक हो, वह जब यह ग्रादमी इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है, तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है।

इसलिए मैं चाहता यह ह कि सरकार जब हिन्दुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उहेश्य हैं, ग्रगर समाजवादी उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में हैं, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहने चाहिएं । ग्रव मित्रा जी ने कहा कि दूसरे बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में है कुछ संशोधन किया गया है. डाइरेक्टिव प्रिसिपल्स में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी हूँ अवस्था में जब संविधान में इस तरह की वार्ते हैं, तो ग्रव संविधान तो हमारे देश का ब्रियादी कानन है। उस कानुन से दूसरे कानुन एमनेट करते हैं। ऐसी ग्रवस्था में दूसरे काननों को बनाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय इस संबंध में मिल सके।

में एक बात ग्रीर कह कर ग्रपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि सी० ग्रार० पी० सी० में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि कैस जो फाइल होगा थाने के ग्रन्दर ग्रीर ग्रन-संधान जो याने केश्रन्दर होगा, उसमें गांव से जो लोग जायेंगे, उसमें गवाही देने के लिए, तो उनको टी० ए० दिया जाएगा । यह सी० ग्रार० पी॰ सी का संशोधन जहां तक मझे स्मरण है 1972 वा 1974 में हम्रा था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। में समझता यह हूं कि गरीब जोकि फाइल करता है, उसका व्यक्ति नहीं मिलता है (समय की घंटी)में खत्म ही कर रहा हं, न्याय नहीं मिलता है क्योंकि वह ग्राने-जाने का व्यय वहन नरने में असमर्थ हो जाता है ।

में सरकार से जानना जाहेता है कि सी० ग्रार० पी० सी० में जो इस तरह का प्रावधान किया गया है, क्या सरलार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि ग्रगर लोग थाने में जाएं, तो

अनसंधान के लिए थाने में गवाही देने के लिए जायें, तो उनको इस तरह की सविधा मिल सके, इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? (समय की घंटी)

इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस बात को समर्थन करता है।

उपसभाव्यक्ष (श्रीमती मार्पेट ग्राल्वा) : पासवान जी, पांच ही मिनट मिलेंगे।

श्री लाडली मोहन निगम : यह तय हो चका है-तीन हफ्ते से यह चल रहा है-- ख्राप के पहले जो उपसभाष्यक्ष थे उन्होंने खद कहा कि साढ़े चार बजे तक इस प्रस्ताव का समय है, उस के बाद ग्राप का प्रस्ताव ग्रा जावेगा। पिछला मर्तवा मौर्यं साहब के प्रस्ताव पर भी एक घंटा बढ़ गया था ।

उपसभाव्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट ग्राल्वा) : ग्राप का रिजोल्यूशन ग्रायेगा।

श्री लाइली मोहन निगम : ग्राने से मेरा मतलब नहीं है। पूरी तरह बात कह न सर्वे तो ना फायदा । मर्यादा की बात है, जैसा ग्राप चाहें, ग्राप के हाथ में है। साढ़े चार वजे की सीमा उन्होंने लगा दी थी ग्रीर इसी वास्ते आधा घंटा और वहा देने की वात की थी।

श्री रामभगत पासवान (विहार) : महोदया, मैं ग्राप के प्रति बहुत ग्राभारी हं कि प्राप ने बोलने के लिए समय दिया । यह प्रस्ताव गरीबों से सम्बन्धित है। कानन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। में कानन मंत्री जी को धन्यबाद देता ह कि गरीबों को लीनल एड देने का उन्हीं ने प्रावधान किया है लेकिन सभी जो लोगल एड दी जा रही है वह ऐसी है जैसे ऊंट के मृह में जीरा का घोटन ।

गरीबों पर अत्याच।र बढ़ रहे हैं । परचा वाली भिम गरीबों को दी, वह कब्जा करने के लिए जाते हैं तो उन पर केस किया जाता है। गरीवों पर केस बढ़ रहे हैं, बिहार में ग्राप रहे हैं, ग्राप को पता है। लीगल एड जहां भेजते हैं बफसर खा जाते हैं, जहां न्यायालय में भेजते हैं न्यायालय के अधिकारी खा जाते हैं, गरीबों को मिलती नहीं है। इस लिए मैं ग्राप से ग्राग्रह करता हं कि ग्राप जिस रूप में लीगल एड दे रहे हैं, वकील फी कर रहे हैं, उस को कैंग देते हैं, वह मजदरी छोड़ कर ग्राता है, वह मजदूरी देते हैं, वहत ऐसी जगह हैं जहां बहुत भयानवः अत्याचार हुआ है बेलची आंड, पिपरा कांड, जिस के पति मर गये वह मनम्मात कैसे कोर्ट में ग्रायेगी। जडीशियरी इतनी पेचीदा है कि पांच-पांच, छः छः रोज पर तारीखें पडती रहती हैं। तारीख बढ़ने से त्याचालय के अधिकारी समझते हैं कि उस की ग्रामदनी बढी । पेणकार ग्रलग लेता है, वकील अलग लेता है, फैसले के समय अलग चाहिए । इस तरह पेचीदा जुडीशियरी है। पुलिस के ग्रत्याचार कहां तक क्रहं, महोदया । गरीब ग्रौर ग्रमीर के झगड़े में पुलिस कभी गरीब के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देती है । पति मारा जाता है, घर उजाड़ दिया जाता है, जहां वसे हए हैं परचा वाली जमीन पर उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है । इस प्रकार के ग्रत्याचार होते है। पुलिस कभी गरीव के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देती । इस लिए ग्राप इपवा ग्रलग कोर्ट कायम कर दीजिए गरीबों के लिए । लीगल एड पड़ी है। रह जाती है। बही मिलती भी है दो रुपया, चार रुपमा तो विश्वानी परेशान करा कर ले लेते हैं। इस लिए विधि मंत्री से में ब्रायह करूंगा कि या तो पूरे मकदमे का खर्च दीजिए या उनके लिए ग्रलग से स्पेशल कोर्ट बना

[श्री रामभगत पासवान]

दीजिए ताकि उन को न्याय मिल सके, श्रासानी से न्याय मिल सके सस्ता न्याय मिल सके। इन मञ्दों के उपतमाध्यक्ष महोदया को बहुत देता ह जिन्होंने मझे बोलने का मीका

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE COMPANY **AFFAIRS** AND JAGANNATH KAUSHAL): Madam, Vice-Chairman, at the outset I must express my thanks to all the hon. Member, who have participated in the debata on this Resolution. 1 am also prepared to agree ihat the idea behind the Resolution is laudable. The only point on which there seems to be a difference of opinion is whether the time has come when we should legislate.

The House had the privilege of hearing a V2r_v learned speech of Justice Mitra. the attention of the House He has drawn to most of the salient features of the legal aid schemes which are functioning in the country and has also drawn attention to the Lgal aid schemes in other countries also. There can be no denial of thi fact that this idea of legal aid was born as a Directive Principle of the Constitution And. Madam, immediately thereafter, concrete steps were taken to appoint committees, committees of a high standing, went into the matter and then and they they tried to produce reports. On "the basis of those reports various committees were constituted and, today, the position is, as has beeri explained by the honourable Member, Shri Mitra, in almost all the States legal aid is being administered by the Boards which have been set up by those States. I need not. mention the States because, as I see it, most of the States havn got Legal Aid Boards functioning. Only two States have passed legislation in this respect. Mr. Mitra mrntioned only one State. But

there is another State and that is the State of Madhya Pradesh and the othar is the State of Bihar. Both the States have made legislation also. I do not say that we are satisfied with the progress which has been made because the problem is much too complex. Most of us who deal with the law courts know what difficulties a poor litigant has to face and it is not that you give some money or you provide a lawyer to a poor man and then he gets an equal opportunity against a rich adversary. But a number of other things have also to be taken care of before we can hope to provide an equal opportunity for him to seek justice. That is why the Bhagwati Committee has emphasised that the question of logal aid has a number of facets. For the present, legal aid is given in the following forms:

First, legal aid is given by initiating or defending legal proceedings in the courts of law for securing the rights of legal remedies to the poor and the vulnerable sections of the

Secondly, there is something called preventive legal aid which includes promotion of legal literacy, legal aid camps, legal aid clinics, public interest litigation, training of para-legal personnel and research in the area of law affecting the poor.

The third category of legal aid is this: In this form of legal aid, *arious social action, non-political, grojups involved in the field of legal aid at the grass-roots level are associated for surveying, identifying and taking up entitlement problems faced by the rural poor as well as u%ban entitlements.

Now, as I said earlier, these are all the various face's of the problem Or question of legal aid and the Bhagwati Committee itself has now started the programme of having tegal aid camps which, from the reports which we havs received, seem to indicate that these camps have caught tile imagination of the people because in some States the honourable retired judges have Started going and members of the legal bar have star:ed going to tne villages themselves and there the people come to know that they are people before whom matters can be brought and, therefore, they go there and they respond to these people and fhe disputes are settled there. The real problem is this: No litigant will have any faith unless the faith is there in the personality of the person who goas there for settling their disputes. The other question which has been raised by a number of friends is that if we provide a lawyer giving him a small emoluments, obviously he is not going *o b2 equal to a lawyer who has succeeded in the profession &&& who charges huge fees. These handicaps are there. We do not deny this. But in order to overcome these handicaps, experiments are being made now, and in the light of experiments that we are conducting through mass media, through sprsad-ing legal literacy, through involving social workers and also involving social organisations, when we come to a conclusion that now this legal aid scheme has taken firm roots only then it will be possible for us to think of a legislation; otherwise it is open to the States either to legislate, as two States have done, or to continue with the legal aid programmes through their Boards through the model schemes.

With regard to the money which is placed at the disposal of the Oerr%pfl Government}, I know the amount was not much. The amount was Rs. 54 Iakhs. But I am sorry to report to the House that in spite of thi? fact that in the Law Ministers' Conference I had addressed all the Law Ministers of States that you please get this money out of me, but, as I said, I am sorry to say

that nobody has come iorwava. Very few people came forward because the money which we give, we give for special projects. Now, unless these special projects are made, these projects are submitted to the Bhagwati Committee, surely we will not give the monoy, because, on the one hand, we want to spend money for the aid to the poor, on the other hand we do not want the money to go waste. Everybody knows that it is Government money; it is public money, and it has to be utilised for the purpose for which it is earmarked by Parliament. Now, again, Justice Mitra has been nice to point out that all these schemes are susceptible to great abuses and if we do not have proper checks, proper audits, then surely the money will go waste because my experience also has been, and there was criticism in this respect, that if Rs. 10 iakhs was spent by a particular Board, Rs. 7 lakhs is spent on administrative matters, which is much too sad. Mrs. Roda Mistry is pleading for more staff. She is pleading for more financial autonomy. I am prepared to accept it, provided the machinery which is functioning, that machinery comes to that standard where the money which is entrusted to them is utilised by them in a proper manner so that it reaches the people for whom rt is meant. Otherwise to spend the whole money on staff or to spend the whole money on administrative matters, I I am afraid...

SHRI SHANJKAR PRASAD MITRA: Also on tours. (Interruptions)

SHRI JAG'*^TNATH KAUSHAL: That will not help anybody. May I only mention for the benefit of my hon. friend, Mrs. Mistry, that by mere legislation nothing better can flow about? Schemes are there. Schemes are working. Let the schemes work in a proper manner. I will come to Parliament for getting more and more money because we are committed to it. We have accepted this as a principle. And, now, after working for about—in fact, the whole idea is 5-8

[Shri Jagannath Kaushal] years' old, and in 1977 the committee was formed, then in 1980 Justice Bhagwatfs Committee was formed; it is hardly two or three years, and...

353

SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Article 39 itself says...

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: That itself was brought in 1976.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Dhabe, we went around together. Don't forget

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Mr. Bhardwaj has given a very illuminating speech. Justice Bhagwati Committee has been in existence for nearly three years. According to the Chairman, the legal aid system has now cut roots in the soil and it has taken off the ground. According to the Chairman's report, it has taken its root. Let it sprout. Let it come in the shape of a robust plant. We are there to help it by giving aU sorts of legal aid or financial help. Otherwise, as I say, I am in agreement with the idea underlying this Resolution. As and when the situation arises, we will certainly come forward in order to make this scheme as virile and as profitable as it can be. For the moment, I do not think there is any *tage for going forward with legislation. But if the States want it, they are very free. I would, therefore, request Mrs. Roda Mistry not to press for the legislation. We are as keen as hon. Member herself. Thank you.

SHRIMATI RODA MISTRY: Madam Vice-Chairman, very cleverly, appearing to agree with all the points of the Resolution moved by me, the Minister has not answered a single one of the points that I have placed before the House. How can there be equal opportunity to seek justice if there is no freedom of movement for the Boards that are functioning so that they can produce the results that are required? The hon. Minister has gone on to praise Justice Mitra. But he has nof gone on record to say

868 RS-12.

anything about the spirit of the Keso-lution. I understand that Justice Mitra is a very learned person. He has gone ' through the law documents before mentioning what he has saic^ Whilst I have voiced the feeling of the steaming masses being one from them a» unlearned person, have gone on to narrate the practical side of the scheme and not got involved on the legal aspect. Although we have all said the same thing with aU the members of the House supporting the resolution, the question is how to get the good luminaries of Law to fight the battle for the poor has not been mentioned by the Minister. How caa you get good lawyers on the small pittance that is allowed as fees? Here also the Government enters the fry to say that the Boards will not pay more than what the Government charges are. Government cases hang in the air for years. The son and the grandson die but their cases continue. Here, we want the cases to move fast for quick justice to the poor. I do not wish to take more time of the House because I know that there is another Resolution to come up, as such I regretfully withdraw this Resolution with a request to the Law Minister that as he has continuously praised the work of the States and said that States might bring forward the law, could it be asked of him if the Statea can bring such a Law, what is wrong with the Centre' bringing a similar one. I again repeat that I regretfully withdraw hoping that better counsel will prevail with the Government as time goes on and the hon. Minister and the Government will see the wisdom behind moving thig Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI. MATT MARGARET ALVA): Is it th< wish of the House that the Resolu tion might be withdrawn?

TheResolution* leavt withdrawn.

text of the Resolution, vidt I *For Debate, dated the 12th August, lMt.